कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंदावती भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

दूरभाष : 2511920, फैक्स नं. 2511918, ईमेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक/अंकेक्षण–3/197/2019/2558   अटल नगर, दिनांक : 27 मई, 2019

–: रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण :–

सहकारी संस्थाओं के लेखाओं की सांविधिक संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म की पंजीयक द्वारा अनुमोदित सूची तैयार करने हेतु आवेदन मंगाये जाने के संबंध में सूचना।

छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के तहत प्रदेश के शीर्ष, केन्द्रीय एवं प्राथमिक स्तर की विभिन्न वर्गों एवं विभिन्न कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं की सांविधिक संपरीक्षा हेतु अनुमोदित पैनल में शामिल होने के लिए इच्छुक, योग्य एवं अनुभवी संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म के प्रस्ताव, नवीन योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण कर, निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म	योग्यता	लेखों की संपरीक्षा का अनुभव
1	पार्टनरशीप संपरीक्षा फर्म	सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत एक से अधिक पार्टनर सनदी लेखाकार जिसका मुख्यालय/शाखा छ0ग0 में हो।	03 वर्ष
2	प्रोपराईटर संपरीक्षा फर्म	सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत सनदी लेखाकार जिसका मुख्यालय/शाखा छ0ग0 में हो।	03 वर्ष
3	संपरीक्षक	सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत सनदी लेखाकार जिसका मुख्यालय/शाखा छ0ग0 में हो।	03 वर्ष

आवेदन का प्रारूप, संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म की योग्यता तथा अनुभव का विस्तृत विवरण, सहकारी संस्थाओं का विवरण तथा आवेदन हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तों की जानकारी सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट **htpp://cgstate.gov.in & htpp://coop.cg.gov.in** पर उपलब्ध हैं। संपरीक्षा फर्म एवं संपरीक्षक दिनांक 30/06/2019 तक अपने आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण कर, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं (05 संभागीय कार्यालयों रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग) एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुख्यालय, रायपुर में कार्यालयीन समय में सायं 04:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। पात्र संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म की सूची विभाग की वेबसाईट पर दिनांक 31/07/2019 के पश्चात् अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।

पूर्व में दिनांक 08/08/2017 के अनुसार अनुसूचित संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु संशोधित मापदंडों के अनुरूप अतिरिक्त जानकारी एवं अन्य किसी परिवर्तन के संबंध में (पता, संविधान में संशोधन) की जानकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में पूर्व अनुसूचीकरण अनुसार, नवीन अनुसूचीकरण में सम्मिलित किया जावेगा।

(जे.पी. पाठक)
पंजीयक,
सहकारी संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

Audit Empanelment /3

परिशिष्ट (अ)
सहकारी संस्थाओं की संपरीक्षा हेतु सनदी लेखाकार एवं सनदी लेखाकार फर्म्स का पैनल

छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (3) एवं (4) (दो) के अंतर्गत प्रदेश के सहकारी संस्थाओं की संपरीक्षा के लिए सनदी लेखाकार/सनदी लेखाकार फर्म्स की अनुसूची (Registrar's Panel) में सम्मिलित करने हेतु संस्थाओं के प्रकार के अनुसार योग्यता एंव अनुभव निर्धारण पत्रक।

क्र.	सहकारी समिति का प्रकार (छ0ग0 सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियॉ)	सनदी लेखाकार एवं संपरीक्षा फर्म्स का (अंकेक्षक)	योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4
1	1. राज्य स्तरीय शीर्ष/संघीय सोसायटी 2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक 3. सहकारी शक्करखाना 4. समस्त राज्य स्तरीय एवं अंतर संभागीय, प्राथमिक स्तर की संस्थाएं 5. नागरिक सहकारी बैंक। 6. अन्य समस्त केन्द्रीय संस्थाएं 7. राज्य स्तरीय कर्मचारी साख सहकारी संस्थाएं। 8. समस्त प्राथमिक सहकारी संस्थाएं A. महिला बहुद्देशीय सहकारी संस्थाएं B. प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संस्थाएं C. मत्स्योद्योग/मछली पालन उत्पादक सहकारी संस्थाएं D. सामूहिक/कृषि सहकारी संस्थाएं E. प्रसंस्करण सहकारी संस्थाएं F. पशु/कुक्कुट पालन G. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति H. सहकारी मुद्रणालय I. औद्योगिक सहकारी समिति J. श्रमिक सहकारी समिति K. गृह निर्माण सहकारी संस्था L. प्राथमिक विपणन सहकारी समिति M. बुनकर सहकारी समिति N. प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार O. अन्य सहकारी संस्थाएं	1. पार्टनरशीप फर्म (Partnership Firm) 2. प्रोपराईटरी फर्म (Proprietary Firm) 3. सनदी लेखाकार (Individual Practising F.C.A.)	1. सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत 01 से अधिक पार्टनर वाली सनदी लेखाकार फर्म (जिसका मुख्यालय/शाखा छ0ग0 में हो।) 2. सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली गई हो एवं 03 वर्ष का लेखा संपरीक्षा का अनुभव हो। 3. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक है।

परिशिष्ट (ब)
सहकारी संस्थाओं की सपंरीक्षा हेतु विभागीय संपरीक्षकों का पैनल

छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (3) के परन्तुक (ऐसे सहकारी सोसाइटी के मामले में जिसमें सरकारी अंश–धारिता अथवा ऋण अथवा कोई शासकीय प्रतिभूति या वित्तीय सहायता दी गई है एवं प्राथमिक सहकारी समितियों) के अंतर्गत प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की संपरीक्षा के लिए सहकारिता विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को संपरीक्षक पैनल सम्मिलित (अनुसूचित) करने एवम् नियुक्त करने योग्य संपरीक्षकों का संस्थाओं के प्रकार के अनुसार निर्धारण पत्रक।

क्रं.	सहकारी समिति का प्रकार (वह समितियाँ जिसमें सरकारी अंशधारिता, ऋण, कोई शासकीय प्रतिभूति या वित्तीय सहायता प्राप्त है)	अधिकारी/कर्मचारी	सहायक (अंकेक्षक)
1	2	3	4
1	1. राज्य स्तरीय शीर्ष सोसायटी 2. संघीय सोसायटी 3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक 4. सहकारी शक्कर कारखाना 5. सहकारी दुग्ध संघ 6. समस्त अंतर संभागीय, केन्द्रीय एवं प्राथमिक स्तर की संस्थाएं 7. नागरिक सहकारी बैंक, जिनका अमानत डिपोजिट 25 करोड़ से अधिक है। 8. पंजीयक द्वारा वर्गीकृत अन्य संस्थाएं	प्रभारी (मुख्य) अंकेक्षक (उप/सहायक पंजीयक)	अंकेक्षण अधिकारी /वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक/उप अंकेक्षक (सहायक अंकेक्षकों की अधिकतम संख्या 27)
2	1. समस्त केन्द्रीय संस्थाएं (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सहकारी दुग्ध संघ एवं सहकारी शक्करखाना को छोड़कर) 2. नागरिक सहकारी बैंक, जिनका अमानत डिपोजिट 25 करोड़ से कम है। 3. राज्य स्तरीय कर्मचारी साख सहकारी संस्थाएं 4. पंजीयक द्वारा वर्गीकृत अन्य संस्थाएं	प्रभारी (मुख्य) अंकेक्षक (सहायक पंजीयक/ अंकेक्षण अधिकारी)	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक/उप अंकेक्षक (सहायक अंकेक्षकों की अधिकतम संख्या 27)
3	1. समस्त प्राथमिक सहकारी संस्थाएं (राज्य स्तरीय कर्मचारी साख संस्थाएं एवं नागरिक सहकारी बैंक जिनका अमानत डिपोजिट 25 करोड़ से कम है। 2. महिला बहुद्देशीय सहकारी संस्थाएं 3. प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी संस्थाएं	प्रभारी (मुख्य) अंकेक्षक (अंकेक्षण अधिकारी/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/ सहकारी निरीक्षक/ उपअंकेक्षक)	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक/ उप अंकेक्षक (सहायक अंकेक्षकों की अधिकतम संख्या 05)

	4. मत्स्योद्योग/मछली पालन उत्पादक सहकारी संस्थाएं 5. सामूहिक/कृषि सहकारी संस्थाएं 6. प्रसंस्करण सहकारी संस्थाएं 7. पशु/कुक्कुट पालन 8. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति 9. सहकारी मुद्रणालय 10. औद्योगिक सहकारी समिति 11. श्रमिक सहकारी समिति 12. गृह निर्माण सहकारी संस्था 13. प्राथमिक विपणन सहकारी समिति 14. बुनकर सहकारी समिति 15. प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार 16. अन्य सहकारी संस्थाएं		

नोट :–

1. श्रेणी 'क' में सम्मिलित संपरीक्षक, श्रेणी 'ख' एवं 'ग' में वर्गीकृत संस्थाओं का अंकेक्षण कर सकेगें।
2. श्रेणी 'ख' में सम्मिलित संपरीक्षक, श्रेणी 'ग' में वर्गीकृत संस्थाओं का अंकेक्षण कर सकेगें।
3. श्रेणी 'ग' में सम्मिलित संपरीक्षक, केवल श्रेणी 'ग' में वर्गीकृत संस्थाओं का अंकेक्षण सकेगें।

परिशिष्ट (स)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के तहत अनुसूचीकरण (Empanelment) हेतु नियम एवं शर्ते

अन्य शर्ते :–

1. संपरीक्षकों/संपरीक्षा फर्मो की तैयार अनुसूची अन्य आगामी आदेश तक प्रभावशील होगी।
2. इस अनुसूची को कार्यालय में निःशुल्क देखा जा सकेगा। किन्तु इसकी प्रति सशुल्क प्रदाय की जावेगी।
3. नियुक्त संपरीक्षक, संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ गंभीर अनियमितताओं के संबंध में विशेष प्रतिवेदन अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।
4. संपरीक्षा फर्म एवं संपरीक्षक के वरिष्ठ सदस्य को पंजीयक कार्यालय द्वारा आयोजित समीक्षा बैठको/संपरीक्षा कार्यशाला में आमंत्रित किये जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा अपेक्षित होने पर संस्थाओं के संपरीक्षा के प्रगति प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना होगा।
5. अनुसूचित संपरीक्षक एवं अधीनस्थ अमला अपनी पहचान के लिये परिचय–पत्र संपरीक्षा के दौरान अपने पास रखेंगें।
6. अनुसूचित नियुक्त संपरीक्षक पर 'जनसेवक' की क्षमता में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के प्रावधान बंधनकारी होगें।
7. अनुसूचित नियुक्त संपरीक्षक (सनदी लेखाकार) को पारिश्रमिक के रूप में पंजीयक की स्वीकृत दर से संस्था और संपरीक्षक के बीच सहमति अनुसार निश्चित राशि का भुगतान संस्था द्वारा किया जाएगा।
8. अनुसूचित नियुक्त संपरीक्षक की क्षमता में निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्देशों का पालन न होने की दशा में अनुसूचित नाम निरस्त किया जा सकेगा।
9. अनुसूचित नियुक्त संपरीक्षक के द्वारा अवैधानिक गतिविधि से सम्बद्ध होना प्रमाणित होने पर भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान को सनद निरस्तीकरण संबंधी प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किया जायेगा।
10. सहकारी संपरीक्षा वैधानिक स्वभाव का होने के कारण, इसे समग्र तथा शत प्रतिशत करने की अनिवार्यता होगी।
11. पंजीयक द्वारा निर्धारित सहकारी संस्थाओं के संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूप में ही संपरीक्षा प्रतिवेदन, अतिरिक्त गंभीर अनियमितताओं के संबंध में विशेष प्रतिवेदन एवं अन्य जानकारियॉ प्रस्तुत करना अनुसूचित नियुक्त संपरीक्षक का अनिवार्य दायित्व होगा।
12. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक के आवेदन उनके मुख्यालय/शाखा, छत्तीसगढ़ में होने पर ही स्वीकार्य होगा।
13. किसी संपरीक्षक फर्म के पार्टनर एवं एसोसियेट सदस्य तथा Individual C.A. संपरीक्षक द्वारा किया गया आवेदन किसी अन्य फर्म में पार्टनरशीप अथवा एसोसिएशन होने पर एक ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा।
14. किसी सहकारी संस्था के उक्त संबंधित वर्ष के आंतरिक/सतत् संपरीक्षक को उसी संस्था की सांविधिक संपरीक्षा हेतु नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
15. किसी संस्था से राशि 10,000/– रूपये या उससे अधिक ऋण प्राप्तकर्ता (सनदी लेखाकार/संपरीक्षा फर्म), को संस्था की सांविधिक संपरीक्षा करने की पात्रता नहीं होगी।
16. संस्था के संचालक, सलाहकार एवं स्थायी अथवा संविदा के रूप में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी सांविधिक संपरीक्षा हेतु अपात्र होगें।

17. संपरीक्षक एवं संपरीक्षा फर्म को संस्थाओं के सांविधिक संपरीक्षक नियुक्त होने पर वचन पत्र तथा सहमति पत्र निर्धारित प्रारूप में संस्था तथा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुख्यालय रायपुर में नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962, संस्था की उपविधि, पंजीयक द्वारा निर्देशित एवं नियमित, आर.बी.आई. एवं नाबार्ड के परिपत्रों के तहत सहकारी समितियों द्वारा कार्य संचालन किया जा रहा है या नहीं बाबत् टीप संपरीक्षा प्रतिवेदन में अनिवार्यतः शामिल करना होगा।

19. संपरीक्षा फर्म एवं संपरीक्षक को संपरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में संस्था के साधारण निकाय के आयोजन में बुलाये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

20. एक बार संपरीक्षा फर्म एवं संपरीक्षक के पैनल में अनुसूचित होने के उपरांत भी, किसी संपरीक्षा फर्म एवं संपरीक्षक को पैनल से हटाने, संशोधन करने अथवा सम्मिलित करने का अंतिम निर्णय पंजीयक का होगा।

21. सहकारी संस्थाएं, जिनमें सरकारी अंशधारियाँ अथवा ऋण अथवा कोई शासकीय प्रतिभूति या वित्तीय सहायता नहीं दी गई है उसमें संपरीक्षक परिशिष्ट (अ) अनुसार संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म का अनुसूचीकरण किया जायेगा।

22. सहकारी संस्थाऐं, जिनमें सरकारी अंशधारियाँ अथवा ऋण अथवा कोई शासकीय प्रतिभूति या वित्तीय सहायता दी गई है एवं प्राथमिक स्तर की समितियां, उसमें संपरीक्षक परिशिष्ट (अ) एवं (ब) अनुसार संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म एवं विभागीय संपरीक्षक (सहकारिता विभाग के अधिकारी/कार्यालय कर्मचारियों को अनुसूचिकरण में शामिल किया जावेगा।)

    संस्था का विकल्प विभागीय संपरीक्षक की नियुक्ति का निर्णय साधारण निकाय में किये जाने पर कार्यालय द्वारा संपरीक्षक को नामांकित/प्राधिकृत क्षेत्राधिकार अनुसार मुख्यालय/संभागीय/जिला कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

23. लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के समस्त यथा संशोधित प्रावधान लागू होंगे।

24. लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म किसी भी सोसाइटी में लगातार दो वर्ष से अधिक के लिए लेखाओं की लेखा परीक्षा नहीं करेगा।

25. अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी वर्ग की शीर्ष सहकारी बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विर्निदिष्ट प्रारूप (एल.एफ.ए.आर.) तथा रजिस्ट्रार द्वारा छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 व छ0ग0 सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 50 के तहत विनिर्दिष्ट प्रारूप में सोसाइटी को प्रस्तुत की जावेगी एवं अन्य (भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक, शीर्ष बैंक, पंजीयक) को प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करायी जावेगी।

26. नागरिक सहकारी बैंक/अरबन को–ऑपरेटिव्ह बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 व छ0ग0 सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 50 के तहत विनिर्दिष्ट प्रारूप में सोसाइटी को प्रस्तुत की जावेगी एवं अन्य (भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक, शीर्ष बैंक, पंजीयक) को प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करायी जावेगी। संस्था द्वारा पंजीयक को एक प्रति अधिनियम की धारा 56 (1) के अनुसार उपलब्ध करायी जावेगी।

27. लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत संस्था के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में छ0ग0 सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50 के द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा करने की प्रकिया के तहत टिप्पणी की जावेगी।

28. छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 तथा इसके अनुक्रम में छ0ग0 सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के संबंधित नियम 50 में जो भी परिवर्तन होते है, उनकी पालना की जावेगी।

APPLICATION FOR EMPANELMENT OF CHARTERED ACCOUNTANTS FOR AUDIT OF COOPERATIVE SOCIETIES UNDER SECTION 58 (3) and (4) (II) OF C.G. COOPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960

Application Form No............

EXPRESSION OF INTEREST

(Particulars as on 1st January 2019)

Status of Firm **Individual/Proprietorship/ Partnership**

01 (a) Name of the firm (in Capital letters) :- ....
(b-1) Address of the Head office :- ....
(Please give the telephone no. and e-mail :- ....
Address also) :- ....
(b-2) Address of the Branch office :- ....
(Please give the telephone no. and e-mail :- ....
Address also) :- ....
(c) PAN NO. of the firm :- ....

02 ICAI Registration No: - Region Name :- ....
Region Code No. :- ....

03 (a) Date of constitution of the firm :- ....
(b) Date since the firm has a full-time FCA :- ....

04 Full-Time Partners of the firm as on **1.1.2019** (Please fill up Annex A-1)

S.No.	Years of continuous association with the firm	Number of FCA	Number of ACA
(a)	Less than one Year		
(b)	1 Year or more but less than 5 Years		
(c)	5 Years or more but less than 10 Years		
(d)	10 Years or more but less than 15 Years		
(e)	16 years or more		

05 Number of Part-Time Partners if any, as on 1.1.2019 (Please fill up Annex A-2) :- ....

06 Number of Full-Time Chartered Accountant Employees (As on 01-01-2019) (Please fill up Annex A-3) :- ....

07 Number of full- time audit staff employed with the firm
(a) Articles / Audit Clerks :- ....
(b) Other Audit Staff (with knowledge of Book-Keeping and Accountancy) :- ....
(c) Other Professional Staff (Please specify) :- ....

08 Number of Branches (Please fill up Annex –B) :- ....

09 Whether the firm is engaged in any Internal / Concurrent / Co-operative Audit or any other services of any Govt. Companies / Corporations etc. If Yes, details may be given Annexure 'C' — Yes / No

10. Whether there are any court / arbitration / any other legal case against The firm (If yes, give a brief note of the case indicating its present status) — Yes / No

Certified that the foregoing information is Correct

Enclosed :

1. Annex A-1
2. Annex A-2
3. Annex A-3
4. Annex B
5. Annex C

Name & Signature
of duly authorized partner

Annex A-1

1. Firm's name

Details of Full-Time Partners of the firm (Please refer to Sl. No. 4 of the Expression of Interest Format)

S.No	Name of the Partner	Member-ship No.	Whether FCA/ ACA	Date of Joining the firm (full time)	Date of becoming FCA	Station & Region where residing at present	Whether acknowledgement of Income Tax Return for the relevant Year Attached Yes /No	Whether has DISA (Information systems Audit / CISA or any other equivalent qualification (specify the qualification)

If yes, please attach a copy of the certificate

Annex A-2

Details of Part–Time Partners of the firm (Please refer to Sl. NO. 5 of the Expression of Interest Format)

Name of partners	Member-ship No.	Whether FCA/ ACA	Date of becoming FCA	Date of Joining partnership	No. of other firm in which he is partner	Whether practicing in his own name also (Y/N)	Whether employed elsewhere (Y/N)	Whether has DISA (Information systems Audit / CISA or any other equivalent qualification (specify the qualification) * If yes, please attach a copy of the certificate

(Annex A-3)

Details of Full-time Chartered Accountant Employees (Please refer to Sl. No. 6 of the Expression of Interest Format)

S.NO.	Name	Membership NO.	Whether FCA / ACA	Date of Joining the firm as full time employee	Whether has DISA (Information systems Audit / CISA or any other equivalent qualification *If yes, please attach a copy of the certificate (specify the qualification)

(Annex B)

Particulars of Branch (including foreign branches, if any) (Please refer to Sl. No. 8 of the Expression of Interest Format)

S. NO.	Station at which located	Complete address with PIN Code & Telephone No.	Name of the partner in charge of the branch	Date of opening of the branch	Region	Whether included in last year application (yes /No)

(Annex C)

Details of Internal audit work / Statutory audit /or Tax audit with the firm (please refer to Sl. No. 9 of the Expression of Interest Format)

S. NO.	Name of the Co-operative Societies, other Services of any govt. Companies/Corporations/ Bank etc.	Nature of assignment	Year for which appointed

Certified that the foregoing information is correct.

Authorized Signature with Seal :-................................
Name of Partner :-................................
For and on behalf :-................................
(Name of the firm) :-................................

NOTES:-

1. The CA Firm's must be registered with ICAI, New Delhi and conformation letter from the Institute shall be attached.
2. In case of partnership firm, partnership deep must be attached.
3. Certified copy of DISA (Diploma in Information System Audit) certificate should be attached.
4. Copy of experience / appointment letter should be attached.
5. The applicant partnership firm/proprietary firm or individual professional practitioner C.A. shall ensure that the CA's associated with such firm are not associated with other firms.
6. The following changes in the particulars should be intimated (within 30 days by registered post) to this office.

I. There is a reduction in the number of partners or paid Chartered Accountants employed full time with the firm.

II. The firm is left without any FCA.

7. The proforma should be signed by a partner on behalf of the firm.
8. Any change in the information given in the form should immediately be intimated to this office.
9. If the candidate wishes to furnish any information, he/she or the firm may do so on a separate annexure enclosed with the application form.
10. The firm should not have any disciplinary action initiated by ICAI or other authority.
11. Qualification & Experience of the Auditor and Auditing form are enclosed as per annexure "A".
12. Detailed terms and conditions of audit are enclosed as per Annexure "C".
13. The Expression of Interest must be delivered by post or by hand in the following offices :-

(1) Registrar, Registrar of Co-operative Societies, Block "B", Second &Third Flour, Indravati Bhavan, Atal Nagar, Dist-Raipur (C.G.).
OR

(2) Jonit Registrar Co-operative Societies Divisional Office Raipur, Durg, Bilaspur, Sarguja & Bastar (C.G.)

The Expression of Interest must be addressed to:
The Registrar.
Registrar of Co-operative Societies
Block "B", Second & Third Flour,
Indravati Bhavan, Atal Nagar, Dist-Raipur (C.G.)

POSTAL ADDRESS OF DIVISIONAL JOINT REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES

1. Office of Joint Registrar Co-operative Societies
   Infront of Lalganga Shopping Complex, Rajabandha Maidan G.E. Road, Raipur (C.G.) Pin Code – 492001.
2. Office of Joint Registrar Co-operative Societies
   Opp. Collectorate, Composite Building,
   Bilaspur (C.G.) Pin Code – 495001.
3. Office of Joint Registrar Co-operative Societies
   Maharani Laxmi Bai ward No-6, Jawahar Nagar,
   Ambikapur (C.G.) Pin Code – 497001.
4. Office of Joint Registrar Co-operative Societies
   Maitri Sangh gali, Opp. Meera Photo Studio, Kumharpara, Jagdalpur (C.G.) Pin Code – 494001.
5. Office of Joint Registrar Co-operative Societies
   Bunkar Bhawan, Santra Badi, Station Road, Durg (C.G.)
   Pin Code – 491001